



प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

कार्यालय : 7वाँ एवं 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

प्राधिकरण द्वारा विकसित विभिन्न योजनाओं में फ्लैटों का लॉटरी के माध्यम से
आवंटन प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर
पंजीकरण आवेदन तिथि— 26.05.2025 से 25.06.2025 तक

रिक्त फ्लैटों का विवरण (आवंटन लॉटरी के माध्यम से)

क्र० सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य प्रति फ्लैट (रु० में)	पंजीकरण धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	जान्ही अपार्टमेंट, नैनी, फेज- I	SAHAJ (FLAT) G.F.	32	35.94	2605000.00	260500.00
		SAHAJ (FLAT) F.F. TO T.F.			2000000.00	200000.00
		SARAL (E.W.S. FLAT)	4	24.61	1266000.00	126600.00
	जान्ही अपार्टमेंट, नैनी, फेज- II	1 B.H.K. L.I.G. FLAT G.F.	36	50.08	2600000.00	260000.00
		1 B.H.K. L.I.G. FLAT F.F. TO T.F.	108	50.08	2000000.00	200000.00
	जान्ही अपार्टमेंट, नैनी, फेज- III	1 B.H.K. L.I.G. FLAT G.F.	8	50.08	2600000.00	260000.00
		1 B.H.K. L.I.G. FLAT F.F. TO T.F.	24	50.08	2000000.00	200000.00
	जागृति विहार आ०यो०, कालिन्दीपुरम	M.I.G. FLAT (CATEGORY-I) Phase-I	19	75.83	3490000.00	349000.00
		M.I.G. FLAT (CATEGORY-II) Phase-II	13	54.30	3335000.00	333500.00
		M.I.G. FLAT (CATEGORY-II) Phase-III	184	54.30	3335000.00	333500.00

3	मौसम विहार अपार्टमेन्ट, कालिन्दीपुरम्	3 B.H.K. SHARAD	10	133.67	6850000.00	685000.00
		2 B.H.K. SHISHIR	50	102.94	5290000.00	529000.00
		2 B.H.K. HEMANT	33	85.51	4435000.00	443500.00
		2 B.H.K. BASANT	32	80.25	4302000.00	430200.00
4	यमुना विहार आवास योजना, नैनी ।	2 B.H.K. (B3)	158	75.29	3655000.00	365500.00
		2 B.H.K. (B4)				
5	मानस विहार आवास योजना, नैनी	SAHAJ-A (L.I.G. FLAT)	6	40.69	1720000.00	172000.00
		SARAL-II-B (E.W.S. FLAT)	3	32.85	1185000.00	118500.00
		SARAL-I-C (E.W.S. FLAT)	10	31.64	1142000.00	114200.00
6	आजाद अपार्टमेण्ट, नैनी	SAHAJ (L.I.G. FLAT)	2	41.78	2031000.00	203100.00
7	वसुधा विहार आ0 यो0, कालिन्दीपुरम्	GAGAN (FLAT)	9	66.56	3454000.00	345400.00
		PAWAN (FLAT)	1	83.52	4600000.00	460000.00
8	सुगम विहार आ0 योजना, कालिन्दीपुरम्	SAHAJ (L.I.G. FLAT)	2	42.94	1417000.00	141700.00
9	मंगल विहार आ0 योजना, कालिन्दीपुरम्	SARAL (E.W.S. FLAT)	1	38.274	1519000.00	151900.00
		SAHAJ (L.I.G. FLAT)	4	43.46	1881000.00	188100.00
10	सरस विहार आ0यो0, झूँसी	AFFORDABLE (Ground Floor Flat)	1	28.00	1715000.00	171500.00
		AFFORDABLE (Second Floor To Third Floor Flat)	5	28.00	1250000.00	125000.00
11	डिवाइन अपार्टमेन्ट, झूँसी	3 B.H.K. FLAT	4	170.66	11200000.00	1120000.00
12	अलकनन्दा अपार्टमेण्ट, गोविन्दपुर	2 B.H.K.-B1	2	103.40	6438610.00	643861.00
		3 B.H.K.-B1	2	142.00	7700000.00	770000.00
		3 B.H.K.-B2	1	139.19	7291760.00	729176.00
	Total No. of Flats		764			

संक्षिप्त नियम एवं शर्तें

1. समस्त सम्पत्तियों का पंजीकरण/आवेदन वेबसाइट janhit.upda.in & www.pdaprayagraj.org के माध्यम से ऑनलाइन एवं निर्धारित अवधि में ही स्वीकार किये जायेंगे तथा स्पष्ट एवं पूर्ण आवेदन ही मान्य होंगे।
2. सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा और लॉटरी की तिथि एवं स्थान आदि के विषय में सूचना अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।
3. यदि उक्त विज्ञापन अवधि के पश्चात् आवंटन हेतु सम्पत्ति रिक्त होती है तो उक्त रिक्त सम्पत्तियों का प्रत्येक माह ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।
4. सम्पत्तियों के सापेक्ष पंजीकरण धनराशि को सम्पत्ति के मूल्य के 25 प्रतिशत धनराशि 30 दिन में समायोजन के पश्चात् अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त 90 दिन के अन्दर अथवा सूचित तिथि के अनुसार निर्धारित ब्याज सहित किश्तों में जमा किया जा सकता है, जिसका ऐच्छिक विकल्प पंजीकरण फॉर्म के नियत कॉलम में भरना होगा।
5. ई0डब्ल्यू0एस0 (सरल श्रेणी) के प्लैटों को पाँच वर्ष (60 माह), एल0आई0जी0 (सहज श्रेणी) के प्लैटों को तीन वर्ष (36 माह) समान मासिक किश्तों में, गगन व पवन श्रेणी के प्लैटों को 12 समान त्रैमासिक किश्तों में, डिवाइन अपार्टमेंट व अलकनन्दा अपार्टमेंट के प्लैटों को 06 समान त्रैमासिक किश्तों में व सरस विहार के प्लैटों को 08 समान त्रैमासिक किश्तों में निर्धारित ब्याज सहित आवंटित किया जायेगा।
6. ई0डब्ल्यू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग)/सरल श्रेणी के प्लैट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक की अधिकतम आय रु0 3,00,000/- (रुपये तीन लाख तक) वार्षिक तथा एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग)/सहज श्रेणी के प्लैट हेतु रु0 3,00,001/- से 6,00,000/- (रुपये तीन लाख एक से छः लाख तक) की वार्षिक आय का तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा पंजीकरण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. एक से अधिक श्रेणी की सम्पत्ति (प्लैट) के आवेदन हेतु अलग-अलग पंजीकरण फार्म एवं पंजीकरण धनराशि जमा करना होगा किन्तु लॉटरी ड्रॉ में चयन होने पर एक ही सम्पत्ति का आवंटन मान्य होगा तथा लॉटरी ड्रॉ में चयन के तत्काल बाद आवेदक को अपने अन्य पंजीकरण/पंजीकरणों के लिये असहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा एक आवंटन के अतिरिक्त अन्य सभी पंजीकरण निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।
8. किसी भी सरकारी/निजी संस्था/फर्म को एक मुश्त प्लैटों (Bulk) के आवंटन पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है।
9. रिक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी राजस्व सहायक से प्राप्त की जा सकती है।
10. रेरा में पंजीकृत योजनाओं की सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात् आवंटी को रजिस्टर्ड अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य होगा।
11. आवंटी को सम्पत्ति मूल्य के अतिरिक्त निर्धारित लीजरेंट/कार्पस फण्ड/सर्विस चार्ज/जी0एस0टी0 एवं अन्य शुल्कों में से जो देय होगा, उसका भुगतान करना होगा। विक्रय विलेख का समस्त व्यय, नगर निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभागों के समस्त देयक आवंटी को वहन करना होगा।
12. सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य आवंटन के पश्चात् निर्धारित तिथि से पूर्व कभी भी जमा किया जा सकता है। सम्पूर्ण मूल्य जमा होने पर रजिस्ट्री सम्पादित होने के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा देय होगा किन्तु किश्तों पर आवंटित प्लैट्स का कब्जा, उसके मूल्य का 25% जमा होने के पश्चात् नियमानुसार अनुबंध सम्पादित कर दिया जा सकता है।
13. सम्पत्तियों के आवंटन में आरक्षण शासनादेश के अनुसार लागू होगा, जिसके लिए वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फॉर्म में आरक्षण कॉलम न भरने व प्रमाण पत्र न संलग्न करने पर उक्त पंजीकरण सामान्य श्रेणी का माना जायेगा। आरक्षित सम्पत्ति अवशेष रहने पर उसे सामान्य श्रेणी में सम्मिलित कर आवंटित की जायेगी।
14. उपरोक्त सम्पत्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है किन्तु सम्पत्ति के कुल मूल्य में छूट देय नहीं है। आधी पंजीकरण धनराशि अग्रिम के रूप में जमा होने वाली सम्पत्ति के मूल्य के 25% धनराशि में समायोजित कर जमा करना होगा।
15. समस्त सम्पत्ति **"जहाँ है-जैसे है"** के आधार पर आवंटित की जा रही है, जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कराया जायेगा। आवंटन हेतु आवेदन करने से पूर्व सम्पत्तियों का स्थलीय निरीक्षण कर संतुष्टि की जा सकती है।
16. विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण "प्रयागराज जनपद न्यायालय" के क्षेत्राधिकार में होगा।
17. प्राधिकरण आवंटन नियमावली के अनुसार व शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा।
18. सम्पत्ति का आवंटन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज में निहित है।